कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

संख्याः 2442 /एस0टी0–कैम्प–2021 दिनांकः 05 जनवरी, 2022

आदेश

मुख्य सचिव महोदय, गृह (गोपन) अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 15/2022–सीएक्स–3, दिनांकः 04 जनवरी, 2022 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेज इत्यादि का भी उपयोग किया जाये।

जनपद वाराणसी के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यू0पी0 बोर्ड/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों में कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों का टीकाकरण दिनांकः 07.01.2022 (शुक्रवार) एवं 08.01.2022 (शनिवार) को किया जायेगा तथा कक्षा 11 एवं कक्षा 12 एवं इससे ऊपर के विद्यालयों में टीकाकरण का कार्य दिनांकः 10.01.2022 से 12.01.2022 के मध्य किया जायेगा। अतः कक्षा 11 एवं कक्षा 12 तथा सभी डिग्री कॉलेजों में जो भी विद्यार्थी 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हैं तथा जिनकी जन्मतिथि वर्ष 2007 के उपरान्त हो, वे सभी अनिवार्य रूप से अपनी कक्षा में उपस्थित रहेंगे।

कोविड टीकाकरण के दिन समस्त निजी व सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य व इन कक्षाओं के कक्षा इंचार्ज कोविड टीकाकरण कार्य में विशेष रूचि लेते हुए उक्त निर्धारित दिवस में अपने विद्यालय में विशेष अभियान चलाकर उक्त कार्य को सम्पादित करायें। सभी विद्यालयों में सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुँच कर टीकाकरण कराएगी।

(कौशल राज शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
3. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी, वाराणसी।
9. जिला सूचना अधिकारी, वाराणसी को मीडिया में प्रकाशित कराने हेतु

(कौशल राज शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

कार्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी

पृ0सं0 / क्षे0का0वा0 2287-88 /2021–22 तद दिनांक– 6/01-2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय जनपद वाराणसी को इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें।
2. समस्त प्राचार्य,शासकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय एवं स्व वित्तपोषित महाविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार कार्यावाही सुनिश्चित करें।

कृते क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।